राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
(विश्व बैंक सहायतित मोतियांबिद अंधत्व निवारण परियोजना)

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 से प्रारंभ्भ किया गया था। मध्यप्रदेश में यह कार्यक्रम 1978 से प्रांरभ हुआ। यह कार्यक्रम शत–प्रतिशत भारत शासन से सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मूल उददेश्य दृष्टिहीनता की 2.1 प्रतिशत को कम कर सन् 2000 तक 0.3 प्रतिशत तक लाना था।

सन् 1994 से विश्व बैक की सहायता से मोतियांबिद अंधत्व निवारण परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना की अवधि 7 वर्षो की थी जिसे विश्व बैंक के द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात् विश्व बैंक परियोजना के मापदण्डों के अनुसार ही भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में नेत्र रोग चिकित्सा हेतु उपलब्ध वार्डो की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की गई है, ताकि भविष्य में नेत्र शिविरों की आवश्यकता ही न पड़ें। इस हेतु संस्थाओं में वर्ष भर लगातार मोतियांबिंद के आपरेशन हो एंव अन्य प्रकार के नेत्र रोग चिकित्सा जन सामान्य को उपलबध हो सके। इस हेतु व्यवस्थापन किया गया है। जिसमें शामिल 140 नेत्र बिस्तरों को बढ़ाकर 470 की गई। 20 विस्तर के 9 वार्ड एंव 10 बिस्तर के 13 वार्ड एंव 23 आपरेशन कक्ष का निमार्ण किया गया। सभी वार्ड एंव आपरेशन कक्ष को क्रियाशील बनाया गया। ए.सी. एंव आवश्यक उपकरण प्रदाय किये गये।

वर्ष 2002 से वीजन 2020 कार्यक्रम भारत शासन द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2004–05 के लिए 80000 नेत्र आपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्व 84388 आपरेशन किये गये है जो लक्ष्य का 105.49 प्रतिशत है। एंव वर्ष 2005–06 के लिए 84000 नेत्र आपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर तक 46031 आपरेशन पूरे किये जा चुके है शेष लक्ष्य मार्च तक पूर्ण कर लिए जायेगें। इस वर्ष प्रदेश में ग्रामवार सर्वेक्षण कराकर रजिस्टर्ड किये जा रहे है ताकि इन पंजीकृत मरीजों का आपरेशन किया जा सकें। आपरेशन हेतु दोनों आखों में मोतियॉबिद के प्रकरण महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पॅहुंच विहिन क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित की जा चुकी है। जिन्हें भारत शासन द्वारा सीधे अनुदान की राशि जिले की आवश्यकतानुसार दी जाती है। प्रदेश के स्तर पर स्टेल ऑप्थलमिक सोसायटी राज्य स्वास्थ्य समिति के उप समिति के रूप में कार्य कर रहा है।

परियोजना के अंतर्गत अब तक किये गये मोतियांबिद आपरेशनों की विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	भारत शासन का लक्ष्य	उपलब्धियॉ	प्रतिशत
2003–2004	80000	64196	80.25
2004–2005	80000	84388	105.49
2005–2006	84000	60131 (दिसम्बर तक)	70.00

कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी मोतियांबिंद आपरेशन कराने वाले मरीजों को निःशुल्क चश्मा प्रदाय किया जाता है आपरेशन के दो वर्ष के पश्चात् पुनः जांच की जाती है जिन मरीजो का चश्मा खराब हो जाता है अथवा टूट जाता है उन्हें निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जाता है।

प्रदेश में माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी छात्रों का नेत्र परीक्षण कर गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों को निःशुल्क चश्मा दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2004 – 2005 में प्रदेश में 586748 छात्रों का नेत्र परीक्षण कर आवश्यकतानुसार उपचार किया गया तथा गरीबी रेखा के नीचे के 9160 छात्रों को निःशुल्क चश्में वितरित किये गये।

सूचना शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आई.ओ.एल. के लाभ तथा कार्यक्रम के अर्न्तगत दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी जन जन तक पंहुचाने का प्रयास किया जात रहा है।

स्वयं सेवी संस्थाओं को मोतियांबिद आपरेशन की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार अनुदान राशि दिये जानेका प्रावधान हैं :–

1. कन्वेंशनल सर्जरी	रूपये
दवाई	150
प्रचार–प्रसार	75
परिवहन	100
चश्मा	125
सूचर मटेरियल	50 अथवा डीबीसीएस द्वारा निःशुल्क
2. आई. ओ. एल. हेतु	
दवाई	200
प्रचार–प्रसार कैंप	75
परिवहन	100
चश्मा	125
सूचर मटेरियल	50 अथवाडीबीसीएस द्वारा निःशुल्क
आई.ओ.एल.	200अथवा डीबीसीएस द्वारा निःशुल्क

मोतियाबिंद का आपरेशन अधिक से अधिक संख्या में लैंस प्रत्यारोपरण पद्धति से कराने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसकी सुविधा मेडिकल कालेज,सभी जिला चिकित्सालयों तथा नेत्र अस्पतालों में उपलब्ध है। हालांकि यह सुविधा सीमित होने के कारण कभी आपरेशन अपेक्षित संख्या में नहीं हो पा रहें है किन्तु प्रतिवर्ष लैंस प्रत्यारोपण में वृद्धि हो रही है जो विगत वर्षो से 45 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत तक पंहुच चुकी है।